



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1945 (श0)  
(सं0 पटना 786) पटना, शनिवार, 30 सितम्बर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2023

एस० ओ० 240, दिनांक, 30 सितम्बर, 2023--बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (बिहार अध्यादेश 01, 2023) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, 1 अक्टूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अध्यादेश के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12) 3491)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 सितम्बर 2023

एस० ओ० 240, दिनांक 30 सितम्बर, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12) 3491)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

***The 30<sup>th</sup> September 2023***

S.O. 240, Date 30<sup>th</sup> September 2023--In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 (Bihar Ordinance No. 1, 2023), the Governor of Bihar hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of October, 2023, as the date on which the provisions of the said Ordinance, shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12) 3491)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 786-571+10-डी0टी0पी0 ।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>